द

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बाराबंकी

आदेश संख्या/मान्यता/ 16165-75 /2018–2019/ दिनांक- 10-1-2019

प्रबंधक,
द मिलेनियम स्कूल कुरौली
आयोध्या रोड बंकी बाराबंकी

विषयः- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकारी अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए उ0प्र0 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण–पत्र।

महोदय,

आपके आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण एवं शासनादेश संख्या 418/79–6–2013–18 एस(7)/89 दिनांक 08.05.2013 एवं शासनादेश संख्याः419/79–6–2013–18 एस (20)/91 दिनांक 06.05.2013 के प्रतिनिर्देश से मैं आपके विद्यालय को कक्षा नर्सरी से 08 (अंगेजी माध्यम) तक दिनांक 21.12.2018 से 3 वर्षों की अवधि के लिए औपबन्धिक मान्यता का प्रदान किया जाना सम्प्रेषित करता हूं।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्याधीन है:–

1. मान्यता की स्वीकृति विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 5 के पश्चात् मान्यता/सम्बद्धता प्रदान करने के दायित्व को विवक्षित नहीं करता है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और उ0प्र0 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा नर्सरी से 08 में (या यथास्थिति कक्षाओं में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पड़ोस के कमजोर वर्गो और सुविधा- विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा। परन्तु अग्रेतर यह कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के मामले में भी इस सन्नियम का पालन किया जाएगा।
4. प्रस्तर 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन आच्छादित हो तो विद्यालय को तदनुसार प्रतिपूर्ति दी जाएगी। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय अलग से एक बैंक खाता उपलब्ध कराएगा।
5. समिति/विद्यालय कोई व्यक्ति संग्रह नहीं करेगा और बालक अथवा उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रकिया प्रकिया के अध्याधीन नही करेगा।
6. विद्यालय प्रवेश से वंचित नहीं करेगा–

(i) बालक का आयु प्रमाण–पत्र न होने पर।

(ii) धर्म, जाति अथवा नस्ल जन्म स्थान अथवा उनमें से किसी आधार पर।

(iii) प्रवेश दिए गये किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।

(iv) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्याधीन नहीं किया जाएगा।

(v) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 23 के अधीन अधिकथित किए गये अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा।

(vi) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

(vii) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परंतु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे। तथा टीईटी प्रशिक्षित अध्यापकों की व्यवस्था पूर्ण कर लेंगे।

(viii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है,

(ix) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन कियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यकम का पालन करेगा।

8. विद्यालय छात्रों का नामांकन विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपात में करेगा जैसा कि अधिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट किया गया है।

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर–मान्यताप्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।

10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीड़ा–स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12. स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।

13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

14. आपके विद्यालय को आबंटित मान्यता कोड संख्यांक .... है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।

15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है, जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता हैं, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाए।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
17. विद्यालय प्रबंन्ध/न्याय और कर्मचारी वर्ग समय समय पर जारी किए गये राज्य सरकार के निर्देशों का अनुपालन करेगा।
18. संलग्न उपबन्ध 3 के अनुसार अन्य कोई शर्ते।

भवदीय

(वी0पी0सिंह)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

बाराबंकी।

पृ0सं0/मान्यता/ /2018–19/दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0प्र0 प्रयागराज।
3. सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 प्रयागराज।
4 सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक अयोध्या, मण्डल अयोध्या।
5. प्राचार्य, डायट, गनेशपुर, बाराबंकी।
6. जिला विद्यालय निरीक्षक, बाराबंकी।
7. जिला समाज कल्याण अधिकारी, बाराबंकी।
8. जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, बाराबंकी।
9. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, बाराबंकी।
10. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, बाराबंकी।
11.जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, बाराबंकी।
12.कार्यालय पत्रावली।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

बाराबंकी।